न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–270 / 2026

(गरही थाना संख्या 23 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

रामवृक्ष रविदास एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

आदेश

13.05.2026 1– प्रस्तुत जमानत आवेदन **1. रामवृक्ष रविदास** उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता दुखन रविदास **2. चिन्ता देवी** उम्र 46 वर्ष पति रामवृक्ष रविदास द्वारा गरही थाना कांड संख्या 23 / 2026 में अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 352, 351(2), 118(2), 110 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्ति लाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का केस संक्षेप में यह है कि दिनांक 01.02.2026 को समय करीब 5 से 6 बजे के बीच में रामवृक्ष रविदास पिता दुखन रविदास एवं चिता देवी पति रामवृक्ष रविदास दोनों सा0 तेतरियाटांड थाना गरही जिला जमुई ने सूचिका के घर में अचानक हाथ में टांगी लिए रामवृक्ष रविदास आये एवं गाली गलौज करने लगे। जब सूचक ने इसका विरोध किया तो रामवृक्ष ने सूचिका को जलील करने लगा एवं मारपीट दोनों मिलकर करने लगा। जब सूचक चिल्लाने लगे तब सूचिका के पति बचाने आये तब हाथ में लिये टांगी से रामवृक्ष रविदास सूचिका के पति के माथा पर मार कर माथा फाड़ दिया एवं सूचिका को भी चिंता देवी कुल्हाड़ी से माथा पर मारा जिससे सूचिका वहीं पर खून से लथपथ होकर जमींन पर गिर गयी एवं बेहोस हो गयी। ग्रामीण लोग आये तब सूचिका व उसके पति को होश में लाये तब देखा कि उसके घर पर पैकेट में रखा 10,000– / रू0 एवं गले का चैन छीनकर ले गया।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि आवेदकगण की ओर से धारा 482 बी0एन0एस0एस के अन्तर्गत इस अग्रिम जमानत आवेदन को छोड़कर कोई अन्य अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष न तो दाखिल किया किया गया है और न ही लंबित है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदकगण द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण को 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को इस वाद में मनगढ़ंत तरीके से झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि सूचिका के कथानक के अनुसार कथित घटना दिनांक 01.02.2026 को सुबह 5:00 बजे की है लेकिन घटना के दिन कहीं कोई भी सूचना नहीं दी गई बल्कि अगले दिन पुलिस स्टेशन को लिखित आवेदन की एक टाइप की हुई प्रति दी गई। सूचना देने वाले द्वारा इस अत्याधिक देरी का कारण नहीं बताया गया है। यह कि सूचिका के लिखित आवेदन से यह भी दर्शाता है कि हाथापाई सूचना देने वाली और उसके पति तथा आवेदक और उसकी पत्नी के बीच हुई थी और उक्त हाथापाई में किसी ने भी मामले या विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया और न ही ऐसा कोई

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–270 / 2026
(गरही थाना संख्या 23 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

रामवृक्ष रविदास एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

13.05.2026
लगातार

भी आरोप है कि आवेदकगण ने कुल्हाड़ी से दोबारा वार किया। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण का उद्देश्य अभियोजन पक्ष के किसी भी सदस्य का जान मारने का नहीं था। यह कि वास्तव में आवेदक रामवृक्ष रविदास फैटी लीवर के पुराने मरीज है और ईलाज के लिए दिनांक 28.01.2026 को अपनी पत्नी सह आवेदिका चिंता देवी के साथ पटना गये थे। दिनांक 31.01.2026 को जब वापस आये तो देखा कि उसकी जमीन के सामने वाले हिस्से पर सूचक द्वारा अस्थायी निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है। अगली सुबह दिनांक 01.02.2026 को उसने उस अस्थायी निर्माण को हटाने की कोशिश की जिसमें कुछ हाथापाई हुई जिसके परिणामस्वरूप यह मामला दर्ज किया गया। यह कि आवेदक द्वारा ईलाज की पर्ची अभिलेख में संलग्न है। आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 126(2), 115(2), 117(2), 352, 351(2), 118(2), 110 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आरोप यह है कि दिनांक 01.02.2026 को सुबह करीब 5 से 6 बजे के करीब रामवृक्ष रविदास, चिन्ता देवी मेर घर में अचानक आए। रामवृक्ष रविदास के हाथ में टांगी था एवं गाली गलौज करने लगे जब सूचिका बबीता देवी ने इसका विरोध किया तो रामवृक्ष रविदास सूचिका को जलील करने लगा एवं दोनों मिलकर मारपीट करने लगा जब सूचिका चिल्लाने लगी तो उसके पति बचाने आये तो रामवृक्ष रविदास अपने हाथ में लिये टांगी से सूचिका के पति के माथा पर मारकर माथा फाड़ दिया तथा सूचिका को भी माथा पर चिन्ता देवी कुल्हाड़ी से मार दिया जिससे वह वहीं जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर गयी। ग्रामीण लोग आकर इनको बचाया।

अपने पुनः ब्यान में वादिनी ने प्राथमिकी का समर्थन किया है परंतु इस वाद के स्वतन्त्र साक्षी दुखन रविदास पे0 स्व0 धनेश्वर रविदास वाद दैनिकी की कंडिका 07 में ब्यान दिया है कि रामवृक्ष रविदास एवं किशुन रविदास दोनों मेरा पुत्र है दोनों के बीच जमीन को लेकर पूर्व से मन मुटाव चल रहा थ। किशुन रविदास कल ही कलकत्ता से आया और समय करीब सुबह 05 से 06 बजे रामवृक्ष रविदास एवं उनकी पत्नी चिंता देवी घर के आगे पक्की सड़क पर किशुन रविदास एवं उनकी पत्नी को गाली गलौज करने लगा जब गाली देने से मना किया तो रामवृक्ष रविदास एवं उनकी पत्नी चिंता देवी ने किशुन रविदास एवं उनकी पत्नी को लाठी डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिया। तब अगल बगल के लोग आए तो बीच बचाव किये तथा स्वतन्त्र साक्षी गुड़िया देवी ने वाद दैनिकी की कंडिका 08 में पुलिस के समक्ष ब्यान दिया है कि रामवृक्ष रविदास एवं किशुन रविदास दोनों अपना भाई है दोनों के

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–270/2026

(गरही थाना संख्या 23/2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

रामवृक्ष रविदास एवं अन्य बनाम राज्य सरकार

13.05.2026 बीच जमीन को लेकर पूर्व से मनमुटाव चल रहा था। किशुन रविदास कल ही कलकत्ता से आया और समय करीब सुबह 05 से 06 बजे हम अपने घर पर थे तो हल्ला गुल्ला कि आवाज सुनाई पड़ा जब बाहर निकलकर देखने गए तो देखे कि रामवृक्ष रविदास एवं उनकी पत्नी चिंता देवी घर के आगे पक्की सड़क पर किशुन रविदास एवं उनकी पत्नी को गाली गलौज कर रहा है जब गाली देने से मना किया तो रामवृक्ष रविदास एवं उनकी पत्नी चिंता देवी ने किशुन रविदास एवं उनकी पत्नी को लाठी डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिया जब अगल बगल के लोग आए तो बीच बचाव किये। वाद दैनिकी की कंडिका 29 में जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसके अवलोकन से विदित होता है कि जख्म कठोर एवं भोथरे हथियार से पहुंचाया गया है जबकि प्राथमिकी में कहा गया है कि टांगी से मारकर सिर फाड़ दिया गया है तथा टांगी एक धारदार हथियार है। एक्स–रे रिपोर्ट अभी तक चिकित्सक के पास नहीं पहुंचाया गया है जबकि चिकित्सक द्वारा प्राथमिक स्तर पर जख्म की प्रकृति को साधारण बताया गया है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदकगण द्वारा इस आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर स्वयं द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर प्रस्तुत किये जाने पर तथा 10,000/–रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तथा धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 में उल्लिखित शर्तों का पालन करने पर आवेदकगण **रामवृक्ष रविदास तथा चिन्ता देवी** को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

मेमो नं.–..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारितः–न्यायालय– श्री ऐहसान रशीद/इंचार्ज कोर्ट, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम् श्रेणी जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई